सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस

अपील संख्याः 133/11 **निर्णय दिनांकः—23—07—2019**

1. महावीर प्रसाद पुत्र सांवरमल जाति खटीक निवासी छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. हरिराम पुत्र मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी जाखासर पुराना तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. ज्ञानीदेवी पुत्री स्व. तुलछाराम पत्नी मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी इन्दपालसर हीरावतार तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. कुम्भाराम पुत्र हरखाराम
4. लिछमणराम पुत्र शेराराम — जाति मेघवाल निवासी इन्दपालसर
5. करणाराम पुत्र मोहनराम — हीरावतान तहसील श्रीडूँगरगढ़
6. भंवरलाल पुत्र मांगीलाल
7. मोहनी पुत्री मांगीलाल — जाति मेघवाल निवासीगण जाखासर
8. नानू पुत्री मांगीलाल — तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर
9. चैना पुत्री मांगीलाल
10. राजू पुत्री मांगीलाल
11. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूँगरगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 29—06—2011
उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़

उपस्थितः—

1. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सुरेश चन्द्र व्यास, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ के आदेश दिनांक 29—06—2011 जिसके द्वारा खातेदार के के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने रौही मौजा इन्दपालसर हीरावतान तहसील श्रीडूँगरगढ़ के खसरा नम्बर 12 रकबा 5.0600 हेक्टर में से 2/5 हिस्सा खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18—02—2011 को पूर्ण प्रतिफल देकर क्रय की गई है तथा मौके पर कब्जा प्राप्त किया गया। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि को क्रय किये जाने की दिनांक से ही अपीलांट् वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते समय इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि उक्त रकबा अपीलांट का खातेदारी रकबा है, जिस पर अपीलांट का बदस्तुर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार द्वारा अपनी पारिवारित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अपने हिस्से तक की भूमि का विक्रय किया गया है। ऐसी स्थिति में रिकार्डेड खातेदार से भूमि क्रय करने के उपरान्त अपीलांट वादगत् भूमि का रिकार्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में किसी भी रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत द्वारा कानून के इस महत्वपूर्ण बिन्दु को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है जो कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य आदेश है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित

आदेश कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण में विधि के सिद्वान्तों की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में आरआरटी 2018 पार्ट II पेज 1275 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि एक संयुक्त खाते की भूमि है। जिसके बाबत् दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आज दिनांक तक जैरकार है। जिसके आधार पर वादग्रस्त भूमि के खातेदारों के मध्य अधिकारो की धोषणा होनी शेष है। ऐसी स्थिति में बिना विभाजन करवाये ही वागद्रस्त भूमि का बेचान किया जाना कानूनी रूप से बाधित है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के कौन से भू–भाग का क्रय किया गया है तथा उनके द्वारा किस भूमि का कब्जा प्राप्त किया जाना है। ऐसी स्थिति में अजनबी क्रेता संयुक्त खाते की भूमि में प्रवेश नहीं कर सकता है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने आगे बताया कि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद उत्पन्न नहीं होने की स्थिति को वादगत् भूमि के दौराने वाद विक्रय किये जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति रेस्पोडेन्ट के पक्ष में मानते हुए वाद के निर्णय तक वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति व वादगत् भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये है। जिससे किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में आरआरडी 2002 पेज 744, आरआरटी 2005 पार्ट II पेज 995, आरआरटी 2009 पार्ट I पेज 141 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रस्तुत मामलें में यह निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि एक संयक्त खातेदारी की भूमि है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं महावीरप्रसाद सद्भावी क्रेता है। प्रत्येक सह खातेदार को अपने हिस्से की भूमि का विक्रय करने का अधिकार है। रेस्पोडेन्ट ज्ञानी का पुत्र है तथा शेष रेस्पेडेन्ट्स 6 ता 10 भी ज्ञानी के पुत्र पुत्रियॉ है। ज्ञानी द्वारा अपने हिस्से का विक्रय करने से पूर्व उसके पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हरिराम ने नोशनल शेयर के आधार पर खातेदारी की धोषणा का दावा पेश नहीं किया था। ऐसी स्थिति में अपीलांट रिकार्डेड खातेदार से सद्भावी क्रेता की हैसियत से भूमि सम्पति क्रय की थी। अस्थाई निषेधाज्ञा आठ साल पूर्व जारी की गई, परन्तु अभी तक वाद का निर्णय नहीं हुआ है।

वाद हरिराम द्वारा प्रस्तुत किया गया परन्तु समुचित पैरवी नहीं करने के कारण वाद आठ साल से लम्बित है। जिसके कारण सद्भावी क्रेता के अधिकारों का हनन होना स्वाभाविक है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ़ का आदेश दिनांक 29—06—2011 निस्त किया जाता है

8. निर्णय आज दिनांक 23—07—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर